न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 51/2024
UPRN180006412024

सीता निगम बनाम रमा निगम

दिनांक – 10/07/2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। वादी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय अनुपस्थित। प्रतिवादी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित। कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

लंच बाद
2.20 बजे

पत्रावली पुनः पेश हुई। पुकार कराई गई। वादी मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश नियत है। बार बार पुकार कराए जाने पर भी वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद को संचालित करने के इच्छुक नहीं है। तदनुसार मूलवाद आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत वादी की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद सं० 51/2024 आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.10 16:33:45 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D./J.M. Ghatamapur Kanpur Dehat